संपादकीय

दिल्ली को फिजूलखर्ची पर फटकार

यह विडंबना ही है कि जनता के हितों की दुहाई देकर सत्ता में आने पर राजनीतिक दलों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। वे दावे तो आसमान से तारे तोड़ लाने के करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत निराशाजनक ही होती है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि थोड़े से काम को इस तरह प्रचारित किया जाता है जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। जबकि हकीकत में जनता के करों से अर्जित धन को निर्ममता से प्रचार-प्रसार में उड़ाया जाता है। विकास की प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करके सरकारी धन को विज्ञापनों व फिजूलखर्ची में उड़ाने वाली दिल्ली सरकार की कारगुजारियों पर शीर्ष अदालत की फटकार को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अदालत ने सख्त लहजे में कहा भी कि ऐसा क्यों है कि लोगों को मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है तो फिर विज्ञापनों पर अनाप-शनाप खर्च होने वाला धन कहां से आ रहा है दरअसल, दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद रैपिड रेल परियोजना के लिये आर्थिक योगदान देने में वित्तीय संकट का रोना रोया था। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जनहित की योजनाओं में योगदान करने से कतराने वाली सरकार विज्ञापनों तथा अन्य गैर जरूरी काम के लिये धन कहां से ला रही है यही वजह है कि दिल्ली सरकार की नीयत को भांपते हुए शीर्ष अदालत ने विज्ञापनों पर खर्च किये गये उस धन का विवरण मांगा है जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों में व्यय किया गया। जानकार सूत्र बता रहे हैं कि जिस रैपिड रेल परियोजना में दिल्ली सरकार ने योगदान देने से मना किया था वह दिल्ली को राजस्थान व हरियाणा से जोड़ सकती है। जिससे सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती थी। विडंबना यह है कि सूचना अधिकार कानून के तहत हासिल जानकारी बता रही है कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली सरकार द्वारा विज्ञापनों पर किया खर्च पांच सौ करोड़ रुपये के करीब हो गया है। निश्चय ही यह लोकतंत्र में जनधन के दुरुपयोग की पराकाष्ठा है। शर्मनाक ढंग से गैर उत्पादक कार्यों में अंधाधुंध पैसा लुटाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जनता को सब्जबाग दिखाकर व मुफ्त का प्रलोभन देकर सत्ता में आये राजनीतिक दलों का वास्तविक चरित्र क्या है ऐसे दलों की कथनी और करनी की वास्तविकता क्या है अंधाधुंध विज्ञापनों पर खर्च करके राजनीतिक दल क्या हासिल करना चाहते हैं क्या यह प्रचार की भूख है या अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने का असफल प्रयास दिल्ली की जनता की याददाश्त इतनी कमजोर भी नहीं कि उसे याद न हो कि दिल्ली में वोट मांगते समय आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सरकारों की फिजूलखर्ची और राजनीतिक दलों के थोथे प्रचार पर जनधन खर्च करने पर सवाल उठाये थे। जनता ने आप के दावों पर भरोसा भी किया और अपार जनसमर्थन भी दिया। मगर परिणाम वही ढाक के तीन पात रहे। दरअसल जब से आम आदमी पार्टी खुद सत्ता में आई तो राज्य सरकार की रीतियां-नीतियां पुरानी सरकारों के ढर्रे पर चल निकली हैं। निस्संदेह यह स्थिति देश के राजनेताओं के कथनी-करनी के अंतर को भी दर्शाती है। वहीं इस प्रकरण से जनता की उस धारणा को भी बल मिला है कि सत्ता में आने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों का चरित्र एक जैसा ही हो जाता है। यदि पिछले कुछ समय में चुनावों के दौरान मतदान के प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है तो उसका एक बड़ा कारण राजनेताओं की कथनी-करनी का अंतर भी है। कमोबेश पूरे देश में ही जनता में सरकारों के प्रति मोहभंग जैसी स्थिति है। लोग अब राजनेताओं की सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इस दिशा में शीर्ष अदालत की सचेतक भूमिका की सराहना की जानी चाहिए। निस्संदेह, इससे जनधन के दुरुपयोग की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकेगी। अब देखना होगा कि दिल्ली की आम आदमी सरकार शीर्ष अदालत के सामने क्या बयां करती है।

आपदा भी लाती हैं पहाड़ों में सड़कें

दृष्टिकोण

– वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली

पहाड़ की सड़कें स्थानीय लोगों के परिप्रेक्ष्य में आपदाओं के उत्प्रेरक के तौर पर देखी जा रही हैं। वर्तमान में हिमाचल के कई जिलों व उत्तराखंड के चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ बागेश्वर के कई गांवों में गिरते शिलाखंडों, मलबे, दरकती जमीनों से लोग भयभीत हैं। सौ से अधिक ऐसे गांवों के भयभीत लोग जो अपने गांवों को कहीं अन्यत्र पुनर्वासित देखना चाहते हैं, अपने कष्टों का कारण गांवों के ऊपर या नीचे से जाने वाली सड़कों को मानते रहे हैं। परन्तु साथ ही लोग सड़कों के पास रहने का लोभ भी नहीं रोक पाते हैं। सड़कें बेहतर भविष्य की आस तो जगाती हैं वहीं सड़कों के बनने के बाद आसपास की जमीनों के भाव भी बढ़ जाते हैं।

चौड़ी और फोरलेन सड़कें बनाने के लिए पहाड़ों को ज्यादा गहराई तक काटना पड़ता है। उन्हें ज्यादा विस्फोटों से उड़ाना होता है। ऐसे में सड़कजनित आपदाएं भी ज्यादा गहराने और पसरने लगती हैं। जगह-जगह ऐसे लिखे बोर्ड लगे हैं कि सड़कों के इन हिस्सों में रुके रहना भी खतरनाक है। वाहन चालकों को सलाह रहती है कि वे चलते रहें, रुके नहीं। ऐसी घटनाएं हुईहैं जब खड़े वाहनों व चलते लोगों पर ऊपर से आकर मलबा-पत्थर गिरे हैं और लोगों की मौतें हुई हैं। सड़कों को लेकर तीर्थयात्रियों व पर्यटकों का फंसना ही खबर बनती है। लेकिन पहाड़ी सड़कों से आने वाली आपदाओं के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उत्तराखंड में सड़कों के संदर्भ में नुकसान मुख्य मार्गों से हटकर, शाखा मोटर सड़कों पर भी बहुत होता है। विडम्बना यह भी है कि तात्कालिक सड़कों को खोलने के लिए जो उपाय किये जाते हैं, उनसे भी कई बार समस्याएं बढ़ जाती हैं। बड़ी-बड़ी मशीनें तेजी से गहराई तक पहाड़ों को काटकर तात्कालिक रास्ता तो साफ कर देती हैं, परन्तु इस प्रकार जो स्थिर ढाल अस्थिर हो जाते हैं और उन्हें ठोक-पीटकर साथ ही साथ, जो स्थिर करने की आवश्यकता होती है, वह नहीं किया जाता है। ऐसी स्थितियों में भारी बोल्डर्स लुढ़कते रहते हैं। सड़कों के समीप भयाक्रांत अधिकांश ग्रामीणों का यही कहना है कि सड़कों पर रोक दीवार अवश्य बनाई जानी चाहिए। सड़कों के अपने होनेभर के महत्व के अलावा यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि सड़कों से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। सड़कों को बनाने का उद्देश्य क्या है। सड़कें जरूरत पूरा कर रही हैं या जरूरतों को बढ़ा रही हैं। अंतराल के बीहड़ क्षेत्रों में, एक खदान मालिक खनिजों के दोहन को आसान बनाने के लिए या बड़ी-बड़ी परियोजनाओं वाले भारी वाहनों व मशीनों को पहुंचाने के लिए सड़क बनवा सकता है। राजनीतिक, सामरिक व व्यावसायिक कारणों से भी सड़कें स्वीकृत की जाती हैं।

पहाड़ों में सामाजिक जानकारों व चिंतकों को यह सवाल दशकों से बेचैन किये हुए है कि ऐसा क्यों होता है कि पहाड़ों में अंतराल तक तो छोटे-बड़े भार वाहन भर-भर कर पहुंचते हैं, परन्तु वहां से लौटते हुए अधिकांश खाली ही होते हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि पहाड़ प्रमुखत: खरीददार हैं, विक्रेता नहीं। क्षेत्र की यह वांछित आर्थिक दिशा नहीं हो सकती है।

आज इन सवालों पर बेहद संजीदगी से विचार करना जरूरी हो गया है, खासकर तब जब सैकड़ों उदाहरण यह दिखा रहे हैं कि सड़कों की राह पहाड़ों में, खेत, मकान, दुकान तक निरंतरता वाली आपदाएं भी पहुंचाती है। अन्यत्र भी विश्व के पर्वतवासी, सड़कों को लेकर, इन्हें सदैव खुशहाली के वाहक के रूप में नहीं देखते हैं। पहाड़ों के संदर्भ में एक विडम्बना भरा तथ्य यह भी है कि कोई जरूरी नहीं है कि पहाड़ों में मोटर सड़कों की दूरियां कम हुई हों। ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिल जायेंगे जब दो गांवों के बीच की पैदल दूरी आधा किलोमीटर हो, किन्तु मोटर सड़कों से वह दूरी सात किलोमीटर हो। परन्तु अब सड़कों पर भरोसा करके अवरोधित होने पर, उन्हीं कम दूरियों को पैदल तय करने के बजाय, घंटों सड़क खुलने का लोग इंतजार करते हुए भी मिल जायेंगे।

सड़कों पर अति विश्वास के कारण किसानों व बागवानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। ठीक उस समय जब फलों की या खेती की अन्य नकदी फसलें तैयार रहती हैं और उनको बेचने का समय रहता है, उसी समय मोटर सड़कें, कई-कई दिनों तक अवरोधित हो जाती हैं। रज्जु मार्ग, खच्चर, कुछ सड़कें, जंगल के कानून, कहीं जीप, कहीं वाहन, कहीं भारी वाहन, जल मार्ग चौड़ाई कम सब मौसमी सड़कें कई जगह राजनीतिक दबाव में तो बन जाती हैं, लेकिन नेता इतना दबाव नहीं कायम कर सकते हैं कि बड़ी बसों का चलना वहां सुनिश्चित करवा सकें। क्योंकि परिवहन कम्पनियों को वहां फायदा नहीं होता है। छोटे वाहन स्वरोजगार भी देते हैं। सामाजिक, गांधीवादी व पर्यावरण कार्यकर्ता, चमोली जिले में सड़कों के बाद भूस्खलन में बढ़ोतरी की बात तस्वीरों व आंकड़ों से दशकों से बताते रहे हैं। उनका कहना है कि सड़कें कहां बनाई जा सकती हैं, कैसे बनाई जानी चाहिए, इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

पहाड़ों में सड़कों के पास अनियोजित ढंग से और बिना जल निकासी प्रणाली का ध्यान रखते हुए, कई बार बरसाती नालों के मुहाने पर भी जब मकान व दुकानें बनने लगती हैं, तो पहले जिन जगहों पर आबादी विहीन होने के कारण जान-माल हानि का संभावनाएं न के बराबर रहती थीं, वहां भी तबाही आनी शुरू हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि आदर्श रूप से पहाड़ी सड़कें आधा कटान-आधा भरान की पद्धति से बननी चाहिए। नदी-नालों व खेतों में मलबा बेतरतीब ढहा देने की जगह, उसका रचनात्मक उपयोग होना चाहिए।

सीमाएं लांघती ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की चुनौती

मुद्दा

-मुकुल व्यास

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि तेजी से गर्म होती दुनिया अगले कुछ वर्षों में पहली बार एक प्रमुख तापमान सीमा को लांघ सकती है। मानव गतिविधियों से उत्सर्जन और इस वर्ष के अंत में संभावित अल नीनो प्रभाव के कारण इसकी आशंका बढ़ रही है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस बात की 66 प्रतिशत संभावना है कि हम चार साल के अंदर 1.5 सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग सीमा को पार कर लेंगे। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि तापमान की इस सीमा को पार करना अस्थायी हो सकता है लेकिन फिर भी यह चिंता की बात है क्योंकि दहलीज से टकराने का मतलब होगा कि दुनिया 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान उत्पन्न गर्मी से 1.5 सेल्सियस अधिक गर्म हो जाएगी। ध्यान रहे कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगीकरण से जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन ने पृथ्वी का तापमान बढ़ाना शुरू कर दिया था। तापमान की सीमा यदि एक साल के लिए भी टूटती है तो भी यह एक विचलित करने वाली बात है क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि वार्मिंग धीमी होने के बजाय तेज हो रही है।

यह 1.5 सेल्सियस का आंकड़ा वैश्विक जलवायु परिवर्तन वार्तालाप का प्रतीक बन गया है। विभिन्न देश 2015 के पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 सेल्सियस तक सीमित करने के लिए प्रयासों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए थे। यदि एक या दो दशक तक हर साल तापमान 1.5 सेल्सियस से ऊपर गया तो हम वार्मिंग के अधिक प्रभाव देखेंगे। ये प्रभाव लंबी गर्मी, प्रचंड लू, अधिक तीव्र तूफान और जंगल की आग के रूप में सामने आएंगे। लेकिन अगले कुछ वर्षों में तापमान वृद्धि की सीमा पार होने का मतलब यह नहीं होगा कि पेरिस समझौते द्वारा तय सीमा टूट जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी भी समय है जब हम उत्सर्जन में तेजी से कटौती करके ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 2020 से किसी एक वर्ष में 1.5 सेल्सियस सीमा को पार करने की आशंकाओं का अनुमान दे रहा है। तब उसने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले पांच वर्षों में 1.5 सेल्सियस की सीमा तोड़ने की आशंका 20 प्रतिशत से कम है। लेकिन पिछले साल तक यह संभावना 50 प्रतिशत हो गई और अब यह बढ़कर 66 प्रतिशत हो गई है। इसका अर्थ यह है कि तापमान वृद्धि की सीमा लांघे जाने की आशंका बहुत बढ़ गई है।

एक और चिंता की बात यह कि दुनिया के समुद्र तेजी से गर्म हो रहे हैं। समुद्र की सतह के तापमान को उपग्रह से मापने का सिलसिला 1980 के दशक में शुरू हुआ था। तब से हर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए समुद्र की सतह का तापमान अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इस साल अप्रैल के पहले दिनों में तापमान का वैश्विक औसत 21.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। यह 21 डिग्री सेल्सियस का पिछला रिकॉर्ड मार्च 2016 में स्थापित किया गया था। अमेरिका के मेने विश्वविद्यालय के जलवायु डेटा के अनुसार, दोनों तापमान 1982 और 2011 के बीच वैश्विक औसत से एक डिग्री अधिक हैं। नया रिकॉर्ड जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न गर्मी का परिणाम है। अमेरिका के समुद्र वैज्ञानिक माइकल मैकफैडेन ने कहा कि अब ला निनिया प्रभाव खत्म हो चुका है और उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर गर्म होने लगा है। ध्यान रहे कि ला निनिया पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ठंडी सतह के तापमान का एक प्राकृतिक सागर चक्र है जो तीन वर्षों से चल रहा था। यह चक्र मार्च में समाप्त हो गया। चाहे समुद्र की सतह हो, जमीन की सतह हो या वायुमंडल हो, हर तरफ मुख्य प्रवृत्ति वार्मिंग की है। जैसे ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसें जमा होती हैं,ये तीनों गर्म होने लगते हैं। लेकिन ये रुझान ला निनिया और अल नीनो चक्रों के आधार पर थोड़ा ऊपर-नीचे होते हैं। गौरतलब है कि अल नीनो के प्रभाव वाले वर्षों के दौरान प्रशांत की सतह गर्म हो जाती है। साल 2022 में ग्रीनहाउस गैस की सघनता अब तक सबसे अधिक थी लेकिन वैश्विक सतह तापमान के हिसाब से वह सबसे गर्म वर्ष नहीं था। ऐसा ला निनिया की वजह से हुआ। साल 2016 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था और वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस के अधिक बोझ और अल नीनो के कारण ऐसा हुआ। इस मिश्रण ने वैश्विक सतह के तापमान को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया। इस साल की पहली तिमाही प्रशांत अल नीनो और ला निनिया से मुक्त रही है। लेकिन पूर्वानुमान मॉडल ने इस साल के अंत में अल नीनो चक्र शुरू होने की 60 प्रतिशत आशंका जताई है। इसका मतलब यह है कि हम एक और रिकॉर्डतोड़ गर्मी के वर्ष का सामना कर सकते हैं। आम तौर पर इन समुद्री चक्रों के शुरू होने और सतह के तापमान के गर्म होने के बीच एक अंतराल होता है। यह संभावना है कि एक बड़ा अल नीनो प्रभाव होने पर हम 2024 में गर्मी का एक नया रिकॉर्ड देख सकते हैं। फिर भी शुरुआती रुझान से अल नीनो की भविष्यवाणी करना मुश्किल है क्योंकि महासागरीय प्रणाली अस्थिर है और वह आसानी से एक पैटर्न से दूसरे में जा सकती है। जलवायु वैज्ञानिक अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि समुद्र के गर्म होने से ला निनिया और अल नीनो के विशिष्ट चक्रों में बदलाव कैसे आएगा। लेकिन आम सहमति यह है कि दोनों दिशाओं में चरम प्रभाव अधिक बार होंगे। बड़े अल नीनो और उनके साथ प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह के उच्च तापमान का सिलसिला 21वीं सदी के अंत तक दोगुना हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि ये प्रभाव लगभग हर 20 साल के बजाय, हर 10 साल में हो सकते हैं।

आजकल

समाज में मूल्यों का हनन

पिछले कुछ समय से समाज के आम व्यवहार में जिस तरह की प्रवृत्तियां घुलती जा रही हैं, उसमें ऐसा लगने लगा है कि लोगों के भीतर इस तरह के मूल्यों की जगह बहुत कम हो रही है। बेहद मामूली बातों पर भी जिस तरह न केवल आक्रामक और हिंसक हो जाने, बल्कि पीट-पीट कर हत्या तक कर देने जैसे मामले सामने आ रहे हैं, वे इस बात का संकेत हैं कि लोगों के लिए विवेक का इस्तेमाल करना अब कोई जरूरी बात नहीं रह गई है। गौरतलब है कि दिल्ली के वजीराबाद इलाके में राह चलते दो लोग आपस में टकरा भर गए। सभ्य होने का तकाजा यह था कि ऐसी स्थिति में दोनों को एक दूसरे से सौहार्द के लहजे में माफी मांग कर आगे बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन इसके उलट एक व्यक्ति इस हद तक आक्रामक हो गया कि उसने दूसरे की पीट-पीट कर हत्या कर दी। दिल्ली के ही द्वारका इलाके में हुई दूसरी घटना में भी अभद्र भाषा को लेकर एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों की बहस हो गई और वहां भी आरोपियों ने उसे पीट-पीट कर मार डाला। दिल्ली में हुई ये दोनों घटनाएं आए दिन देश भर में सामने आने वाले वाकयों की एक कड़ी भर हैं। सड़क पर वाहन चलाते हुए या गली-मोहल्ले में चलते या आस-पड़ोस में किसी बहुत साधारण बात पर दो पक्षों के बीच विवाद शुरू होता है और वह किसी समाधान पर पहुंचने के बजाय एक त्रासदी में खत्म होता है।सवाल है कि क्या लोगों के पास विवेक का इस कदर अभाव हो गया है कि वे बहुत छोटी बातों का भी हल निकाल पाने में नाकाम हो रहे हैं और किसी की हत्या कर देना ही उन्हें अकेला उपाय लगता है! अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सिर्फ आपस में टकरा जाने या किसी से वाहन छू जाने भर के बाद बेलगाम हिंसक रुख अख्तियार कर लेने वाले के भीतर इतना समझ पाने का भी विवेक नहीं बचता कि आवेश में आकर वह जो कर रहा है, उसका हासिल क्या होगा और उसके बाद उसे किन परिस्थितियों का सामना कर पड़ सकता है।किसी व्यक्ति या समाज के सभ्य होने की कसौटी यही होती है कि उसमें लोग अपने आम व्यवहार को लेकर संयत रहें, सामान्य स्थितियों में सबके साथ सलीके से पेश आएं और प्रतिक्रिया की जरूरत पड़ने पर धीरज के साथ पहले विवेक का प्रयोग करें। संवाद और सौहार्द ऐसा जरिया हैं, जो गंभीर और जटिल समस्याओं का भी हल निकाल सकते हैं। विडंबना यह है कि एक ओर अमूमन हर स्तर पर आधुनिक होने का दम भरने में कोई कमी नहीं की जाती और दूसरी ओर बहुत सारे लोगों के भीतर बर्ताव का सलीका गायब होता जा रहा है।

भारत दूरसंचार प्रौद्योगिकी का निर्यातक बनने की ओर अग्रसर

नजरिया

-प्रहलाद सबनानी

भारत में डिजिटल क्रांति ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बहुत प्रभावी भूमिका निभाई है। भारतीय अर्थव्यवस्था, आज डिजिटल क्रांति के बलबूते ही, विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच, सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। डिजिटल क्रांति ने भारत में वित्तीय समावेशन को बहुत आसान बना दिया है एवं आज भारत वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में पूरे विश्व को राह दिखा रहा है। विकासशील देश तो आज वित्तीय समावेशन की सफलता के क्षेत्र में भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत किस प्रकार उनकी मदद कर सकता है।

डिजिटल क्रांति से ही भारतीय अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण भी सम्भव हो सका है। जिसके चलते, वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण प्रति माह औसतन 1.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो गया है तथा प्रत्यक्ष करों के संग्रहण में भी अतुलनीय वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। इससे केंद्र सरकार को भारत में मजबूत आधारभूत संरचना विकसित करने में आसानी हो रही है एवं केंद्र सरकार देश में पूंजीगत निवेश को लगातार बढ़ाने में भी सफल हो रही है। साथ ही, गरीब वर्ग के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को फंडिंग करने में भी किसी प्रकार की समस्या आड़े नहीं आ रही है।

भारत में डिजिटल क्रांति से केवल केंद्र एवं राज्य सरकारों को ही लाभ हुआ है, ऐसा नहीं है। बल्कि, सामान्य नागरिकों, दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे नागरिकों सहित, को भी विभिन्न सरकारी कार्य सम्पन्न करने में बहुत आसानी हुई है। आज भारत में इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने वाले नागरिकों की संख्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में अधिक हो गई है। भारत का टेलीकाम और डिजिटल मॉडल बहुत सरल, सहज, सुरक्षित एवं पारदर्शी है। जिसके कारण आज भारत डिजिटल क्रांति में पूरी दुनिया में एक अग्रणी देश बन गया है एवं दुनिया की अगुवाई कर रहा है।

भारत में डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में नित नए नवाचार भी किए जा रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में भारत में ई-रूपी को डिजिटल मुद्रा के रूप में प्रारम्भ किया गया है। इस डिजिटल मुद्रा को वालेट अथवा मोबाइल में रखा जा सकता है। डिजिटल मुद्रा के चलन में वृद्धि होते जाने से जेब में रुपये के रूप में मुद्रा रखने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। यह भारत को डिजिटल इंडिया बनाने में एक अहम एवं साकार कदम माना जा रहा है।

वर्ष 2022 के केंद्र सरकार के बजट में डिजिटल मुद्रा को भारत में चालू करने के सम्बंध में घोषणा की गई थी। इससे भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती प्राप्त होगी। ई-रूपी, डिजिटल मुद्रा के रूप में बिटकोईन जैसी वर्चुअल करेंसी को समाप्त करने में सहायक होगा एवं इससे गैर कानूनी रूप से भारत में लाई जाने वाली विदेशी मुद्रा (मनी लांडरिंग) पर भी अंकुश लगाने में आसानी होगी। डिजिटल मुद्रा के माध्यम से अन्य देशों में निवास कर रहे लोगों को मुद्रा भेजने में आसानी होती है एवं दूसरे देशों को राशि भेजने पर लगने वाले खर्च में भी लगभग 2 प्रतिशत तक की कमी आने की सम्भावना है। लाभार्थियों के खाते में सीधे ही राशि हस्तांतरित की जा सकती है, इससे भारतीय नागरिकों को मुद्रा को एक देश से दूसरे देश में हस्तांतरित करने में सहूलियत होने लगेगी। कुल मिलाकर ई-मुद्रा से बैंकिंग, मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद की जा रही है। ई-रूपी को भविष्य की मुख्य मुद्रा भी कहा जा रहा है।

यह भी भारत में डिजिटल क्रांति का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 11 करोड़ से अधिक किसानों के बचत खातों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष, 2,000 रुपये की तीन समान किश्तों में, आसानी से केंद्र सरकार द्वारा हस्तांतरित किए जा रहे है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही भारत में राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) की स्थापना की जा सकी है जिसके कारण किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए देश में एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बेहतर बाजार मिला है। इससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है एवं उनके उत्पादों के मूल्य की सही खोज भी सम्भव हो पा रही है। आज ई-नाम मंडियों के माध्यम से भारत का किसान अपनी उपज को देश की किसी भी मंडी में आसानी से बेच सकता है। 22 राज्यों और 3 संघशासित क्षेत्रों की 1,260 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है।

मजबूत बैंकिग व्यवस्था किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहती है। भारत की बैंकिंग व्यवस्था को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से सफलता पूर्वक जोड़ दिया गया है। डिजिटल इंडिया अभियान के जरिए यूपीआई, डीबीटी, ई-रूपी एवं मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं के माध्यम से देश के नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं सुलभ रूप से प्रदान की जा रही है। भारत के नागरिकों के बीच डिजिटल लेन देन करने के लिए देश में यूपीआई सबसे लोकप्रिय माध्यम बन गया है। आज भारत डिजिटल भुगतान और डिजिटल करेंसी की मामले में कई विकसित देशों से आगे निकल आया है। कुल मिलाकर भारत में डिजिटल क्रांति के चलते विभिन्न बैंकिंग सुविधाएं बहुत आसानी से देश के नागरिकों को उपलब्ध होने लगी हैं एवं पेन कार्ड जैसी पूर्व की जटिल वित्तीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने में बहुत आसानी हुई है।